<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 4/2026

सुरेन्द्र पुत्र पितराम, जाति जाट, निवासी रामलालपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

––

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सुरेन्द्र अन्तर्गत धारा 91(6) राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मु0नं0 296/2025 निर्णय दिनांक 30.12.2025

––

उपस्थित :–

1. श्री मनरूप सिंह, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

<u>आदेश</u>

दिनांक 06.03.2026

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 30.12.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट को नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी ने जमीन हाल खसरा नं0 165/111 रकबा 0.28 है0, किस्म गैर मुमकिन नदी, खसरा नं0 178/111 रकबा 0.14 है0 किस्म बंजड़, खसरा नं0 113/77.35 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी वाके ग्राम रामलालपुरा में से 0. 50 है0 जमीन पर अतिक्रमी मानकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6)(क) के तहत 3 माह के सिविल कारावास व उक्त रकबे से बेदखल कर 75/–रुपये शासित अध्यारोपित करने का निर्णय गलत रूप से दिनांक 30.12.2025 को पारित किया जिसको अपास्त करवाने के लिए अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। नियत पेशी दिनांक 24.09.2025 को अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हुआ व लिखित में जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने उक्त वर्णित भूमि पर किसी तरह का पक्का या कच्चा निर्माण नहीं किया व न ही काश्त बाबत अतिचार किया है व न मौके पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है व भूमि मौके पर खाली है जिस पर अदालत मातहत ने गौर न कर मनमाने तौर पर निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलान्ट के द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 24.09.2025 को पेश करने के बाद अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आपका जवाब नोटिस शामिल पत्रावली कर लिया है व उक्त जवाब नोटिस के क्रम में पुनः जांच करवायेंगे व इसके बाद पुनः अपीलान्ट को सूचित कर सुनकर कार्यवाही की जावेगी और अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी नहीं बताई गई। इसके बाद अदालत मातहत ने अपीलान्ट को मुगालते में रखकर तारीख पेशी 09.10.2025 व 05.11.2025 व दिनांक 30.12.2025 दी गई व अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.12.2025 पारित किया। इस प्रकार अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया गया व अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना न कर राजनैतिक द्वेषता से विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91(6)(क) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही केवल तभी की जा सकती है जब ये साबित हो कि अतिक्रमी को पहले भौतिक रूप से हटाया गया हो व हटाने के

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

बाद उस व्यक्ति ने पुनः प्रवेश (अतिक्रमण) किया हो यदि व्यक्ति को मौके से हटाया नहीं गया हो व निरन्तर काबिज है तो पुनः अतिक्रमण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत मातहत के निर्णय में यह कही भी उल्लेखित नहीं है कि अपीलान्ट का भौतिक कब्जा हटाया गया हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न प्रतिपादित सिद्धान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा यह लिख देना कि अतिक्रमण हटाया गया (कागजी बेदखली) कानून की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। अतिक्रमण भौतिक रूप से हटाया जाना अनिवार्य है अन्यथा धारा 91(6)(क) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अदालत मातहत के रिकॉर्ड में पूर्व के बेदखली आदेश व राजस्व रिकॉर्ड व मौका रिकॉर्ड प्रदर्शित नहीं की गई तो कानून से यह नहीं माना जा सकता कि अतिक्रमण दुबारा किया गया है। ऐसी स्थिति में कठोर दण्डात्मक कार्यवाही धारा 91(6)(क) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नहीं की जा सकती। अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व बेदखली का आदेश पेश किया गया हो, ऐसा तथ्य अदालत मातहत की आदेशिका में दर्ज नहीं है व न ही निर्णय दिनांक 30.12.2025 में उल्लेखित है। केवल पटवारी हल्का के हलफिया बयानों के आधार पर धारा 91(6)(क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अपराध मानने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का के बयान दिनांक 05.11.2025 में यह दर्ज नहीं है कि दिनांक 17.06.2025 को किस खसरा नं0 की जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.08.2025 में 0.50 जमीन किस खसरा नं0 की है यह दर्ज नहीं है व किस खसरा नं0 की जमीन में लॉकी व कद्दू की फसल काश्त कर रखी है। इस कारण पटवारी रिपोर्ट अस्पष्ट है। इसको आधार मानकर धारा 91(6)(क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही गलत की गई है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की एकपक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है पटवारी ने गलत रिपोर्ट राजनैतिक द्वेषता से पेश की है। अदालत मातहत ने फर्द कुर्की दिनांक 08.09.2025 व फर्द नीलामी दिनांक 15.09.2025 अपीलान्ट की मौजूदगी व जानकारी में व सहमति से तैयार की हो यह दर्ज नहीं है व फर्द नीलामी में बोलीदाता के कॉलम में कॉलम नं0 03 खाली है व आगे रकम 400/–रुपये अंकित है। उक्त 400/– रुपये की बोली किसने लगाई यह दर्ज नहीं है इस कारण फर्द नीलामी की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित है वह सिर्फ कागजों पर तैयार की गई हैं पूर्व बेदखली आदेश दिनांक 17.06.2025 साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं है तथाकथित पश्चातवर्ती अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नहीं की। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है व अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नहीं है व न ही कच्चा पक्का निर्माण है। रिपोर्ट पटवारी के साथ फर्द नपती नहीं है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह साबित नहीं है कि मूंगफली व गवार की फसल वहां से पानी लेकर सिंचाई की जा रही है इससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं जमीन जैस बहस की किस्म बंजड़ है व जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त नहीं है और न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत शपथ पत्र पेश है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 का अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे या पुनः विधिवत जांच कर निर्णय पारित करने के लिए पत्रावली अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। नियत पेशी दिनांक 24.09.2025 को अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हुआ व लिखित में जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने उक्त वर्णित भूमि पर किसी तरह का पक्का या कच्चा निर्माण नहीं किया व न ही काश्त बाबत अतिचार किया है व न मौके पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है व भूमि मौके पर खाली है जिस पर अदालत मातहत ने गौर न कर मनमाने तौर पर निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलान्ट के द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 24.09.2025 को पेश करने के बाद अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आपका जवाब नोटिस शामिल पत्रावली कर लिया है व उक्त जवाब नोटिस के कम में पुनः जांच करवायेंगे व इसके बाद पुनः अपीलान्ट को सूचित कर सुनकर कार्यवाही की जावेगी और अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी नहीं बताई गई। इसके बाद अदालत मातहत ने अपीलान्ट को

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

मुगालते में रखकर तारीख पेशी 09.10.2025 व 05.11.2025 व दिनांक 30.12.2025 दी गई व अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.12.2025 पारित किया। इस प्रकार अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया गया व अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना न कर राजनैतिक द्वेषता से विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91(6)(क) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही केवल तभी की जा सकती है जब ये साबित हो कि अतिक्रमी को पहले भौतिक रूप से हटाया गया हो व हटाने के बाद उस व्यक्ति ने पुनः प्रवेश (अतिक्रमण) किया हो यदि व्यक्ति को मौके से हटाया नहीं गया हो व निरन्तर काबिज है तो पुनः अतिक्रमण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत मातहत के निर्णय में यह कही भी उल्लेखित नहीं है कि अपीलान्ट का भौतिक कब्जा हटाया गया हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न प्रतिपादित सिद्धान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा यह लिख देना कि अतिक्रमण हटाया गया (कागजी बेदखली) कानून की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। अतिक्रमण भौतिक रूप से हटाया जाना अनिवार्य है अन्यथा धारा 91(6)(क) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अदालत मातहत के रिकॉर्ड में पूर्व के बेदखली आदेश व राजस्व रिकॉर्ड व मौका रिकॉर्ड प्रदर्शित नहीं की गई तो कानून से यह नहीं माना जा सकता कि अतिक्रमण दुबारा किया गया है। ऐसी स्थिति में कठोर दण्डात्मक कार्यवाही धारा 91(6)(क) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नहीं की जा सकती। अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व बेदखली का आदेश पेश किया गया हो, ऐसा तथ्य अदालत मातहत की आदेशिका में दर्ज नहीं है व न ही निर्णय दिनांक 30.12.2025 में उल्लेखित है। केवल पटवारी हल्का के हलफिया बयानों के आधार पर धारा 91(6)(क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अपराध मानने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का के बयान दिनांक 05.11.2025 में यह दर्ज नहीं है कि दिनांक 17.06.2025 को किस खसरा नं0 की जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.08.2025 में 0.50 जमीन किस खसरा नं0 की है यह दर्ज नहीं है व किस खसरा नं0 की जमीन में लॉकी व कद्दू की फसल काश्त कर रखी है। इस कारण पटवारी रिपोर्ट अस्पष्ट है। इसको आधार मानकर धारा 91(6)(क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही गलत की गई है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की एकपक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है पटवारी ने गलत रिपोर्ट राजनैतिक द्वेषता से पेश की है। अदालत मातहत ने फर्द कुर्की दिनांक 08.09.2025 व फर्द नीलामी दिनांक 15.09.2025 अपीलान्ट की मौजूदगी व जानकारी में व सहमति से तैयार की हो यह दर्ज नहीं है व फर्द नीलामी में बोलीदाता के कॉलम में कॉलम नं0 03 खाली है व आगे रकम 400/–रुपये अंकित है। उक्त 400/– रुपये की बोली किसने लगाई यह दर्ज नहीं है इस कारण फर्द नीलामी की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित है वह सिर्फ कागजों पर तैयार की गई हैं पूर्व बेदखली आदेश दिनांक 17.06.2025 साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं है तथाकथित पश्चातवर्ती अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नहीं की। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है व अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नहीं है व न ही कच्चा पक्का निर्माण है। रिपोर्ट पटवारी के साथ फर्द नपती नहीं है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह साबित नहीं है कि मूंगफली व गवार की फसल वहां से पानी लेकर सिंचाई की जा रही है इससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं जमीन जैस बहस की किस्म बंजड़ है व जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त नहीं है और न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 का अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे या पुनः विधिवत जांच कर निर्णय पारित करने के लिए पत्रावली अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने जमीन हाल खसरा नं0 165/111 रकबा 0.28 है0, किस्म गैर मुमकिन नदी, खसरा नं0 178/111 रकबा 0.14 है0 किस्म बंजड़, खसरा नं0 113/77.35 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी वाके ग्राम रामलालपुरा में से 0.50 है0 जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जो राजकीय भूमि है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अपीलान्ट को

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम रामलालपुरा स्थित जमीन हाल खसरा नं0 165/111 रकबा 0.28 है0, किस्म गैर मुमकिन नदी, खसरा नं0 178/111 रकबा 0.14 है0 किस्म बंजड़, खसरा नं0 113/77.35 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी वाके ग्राम रामलालपुरा में से 0.50 है0 जमीन पर अतिकमी माना है। अपीलान्ट ने अदालत हाजा के समक्ष कथन किया है कि उनके द्वारा विवादित भूमि से अपना अतिकमण हटा लिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है और न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत अपीलान्ट ने शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 30.12.2025 निरस्त किया जाता है तथा अपील इन निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना अतिकमण हटा लिया है या नही हटाया है इस बाबत जांच की जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अपील अपीलान्ट स्वीकार होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नही है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं